

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तालीस'

[14/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 811]

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न-811

माननीय विधायक डॉ० गोविंद सिंह

प्रश्नांश 'क' 'ख' एवं 'ग' की जानकारी

योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी

| क्र० | थाना | अप०क्र० | धारा | अपराध पंजीयन दिनांक | नाम व पता आरोपीगण | आरोपी गिरफ्तार है अथवा नहीं | गिरफ्तार न किये जाने का कारण | न्यायालय में विचाराधीन/ सजा, दोषमुक्त की जानकारी |
|------|------|---------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | लहार | 123/86 | 25.30 आर्म्स एक्ट | 3.8.86 | योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | आरोपी के अनुपस्थित होने से प्रकरण न्यायालय द्वारा दाखिल रिकार्ड किया गया। |
| 2 | लहार | 41/92 | 429 भादवि | 18.03.92 | योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | आरोपी के अनुपस्थित होने से प्रकरण न्यायालय द्वारा दाखिल रिकार्ड किया गया। |
| 3 | लहार | 233/13 | 341.440.323. 147 भादवि | 22.10.13 | योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | राजीनामा |
| 4 | लहार | 274/13 | 307.147.148. 149. भादवि | 20.11.13 | योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा | नहीं | ईआर प्रकरण क्र०. 2/14 दि.24.4.14 को तैयार किया गया | ई.आर. प्रकरण निराकरण हेतु न्याया. में प्रस्तुत किया गया। |
| 5 | लहार | 118/14 | 341.294.353. 332.186.307 भादवि | 11.6.14 | योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत नि.मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय से पांच साल की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना |

Section Officer,
Govt. of M. P.
Home (Police) Deptt.
Mantrelaya, Bhopal

14/3/2018
A.I.G.
C.I.D. P.O. BHOPLA

परिशिष्ट "ब"

अतारांकित प्रश्न-811
माननीय विधायक डॉ० गोविंद सिंह

प्रश्नांश 'क' 'ख' एवं 'ग' की जानकारी

संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत निवासी मलपुरा के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी

| क 0 | थाना | अप0क0 | धारा | अपराध पंजीयन दिनांक | नाम व पता आरोपीगण | आरोपी गिरफ्तार है अथवा नहीं | गिरफ्तार न किये जाने का कारण | न्यायालय में विचाराधीन/ सजा, दोषमुक्त की जानकारी |
|--------|--------|--------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 1 | लहार | 233/13 | 341.440.323.147 भादवि | 22.10.13 | संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत नि. मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 2 | लहार | 270/13 | 342.323.294, 506ब.34 भादवि 3.1.10 एस.सी . एस.टी .एक्ट | 20.11.13 | संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत नि. मलपुरा | जेल लहार से दि0 24.06.14 को फार्मल गिरफ्तारी की गई है। | - | दोषमुक्त |
| 3 | लहार | 274/13 | 307.147.148. 149.भादवि | 21.11.13 | संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत नि. मलपुरा | नहीं | प्रकरण में ई.आर .क. 2/14 दि. 24.4.14 को तैयार की गई | ई.आर. प्रकरण निराकरण हेतु न्याया. में प्रस्तुत किया गया। |
| 4 | लहार | 118/14 | 341.294.353. 332.186.307 भादवि | 11.6.14 | संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत नि. मलपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय से पांच साल की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना |
| 5 | लहार | 307/16 | 341.294.327. 384.506.34 भादवि | 18.12.16 | संजीव पुत्र योगेन्द्र उर्फ पप्पू सिंह राजपूत नि. मलपुरा | नहीं | प्रकरण में एफआर तैयार किया गया | एफ.आर प्रकरण निराकरण हेतु न्याया. में प्रस्तुत किया गया। |
| 6 | मिहोना | 1/16 | 379 भादवि 53 म.प्र. गोड़ खनिज अधि. इजाफा धारा 431 भादवि | 04.01.16 के 02:55 बजे | संजीव सिंह राजपूत उम्र 26 साल नि.- मलपुरा थाना लहार | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 7 | मिहोना | 68/17 | 147,149,341, 323,324,336, 294, 506 भादवि | 12.07.17 के 01:15 बजे | संजीव सिंह राजपूत उम्र 27 साल नि.- मलपुरा लहार | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 8 | मिहोना | 3/18 | 327,427,323, 294,506 भादवि | 14.01.18 के 11:44 बजे | संजीव सिंह राजपूत उम्र 28 साल नि.- मलपुरा लहार | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 9 | मिहोना | 4/18 | 379,34 भादवि | 06.02.18 के 03:41 बजे | संजीव सिंह राजपूत उम्र 28 साल नि.- मलपुरा लहार | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 10 | रौन | 04/13 | 336,294,34 भादवि | 10.01.13 | 1-महादेव पुत्र निहालसिंह राजपूत नि0 विरौना 2-कुअरसिंह पुत्र मोहकमसिंह 3-सन्जू नि0 मल्लपुरा 4-अरविन्द पुत्र सरदारसिंह राजपूत नि0 चाचीपुरा | गिरफ्तार | गिरफ्तार | न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 11 | रौन | 36/13 | 307,34 भादवि | 04.03.13 | 1-संजीवसिंह पुत्र योगेन्द्रसिंह नि0 मल्लपुरा थाना लहार 2-लटोरी उर्फ लक्ष्मीनाराण पुत्र हरिचन्द्र नि0 अमायन 3-सन्तसिंह पुत्र चकाई सिंह नि0अचलपुरा | - | - | माननीय हाईकोर्ट ग्वालियर के आदेश से एफआईआर निरस्त की गई। |

Section Officer,
Govt. of M.P.
Home (Police) Deptt.
Mantralaya, Bhopal

9/3/2018
A.I.O.
C.I.O. P.O. BHOPAL

परिशिष्ट "स"

अतारांकित प्रश्न-811
माननीय विधायक डॉ० गोविंद सिंह

प्रश्नांश "घ" की जानकारी

| क० | नाम आरोपी | भिण्ड जिले के न्यायालय में विचाराधीन अपराध | न्यायालय में विचारण उपरांत दोषमुक्त हुए प्रकरणों की जानकारी |
|----|---|---|---|
| 1 | गोपाल सिंह पुत्र त्रिभुवनसिंह राजावत नि० लारौल थाना रौन | रौन के अप०क० 215/16 धारा 336,294 भादवि | प्रकरण में आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। |
| | | देहात के अप०क० 475/98 धारा 147,148, 149,336,427 भादवि | प्रकरण में एफआर क्र० 13/01 दिनांक 13.07.01 को तैयार किया गया। जो निराकरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। |
| | | रौन के अप०क० 219/02 धारा 294, 325, 323, भादवि | न्यायालय द्वारा दोषमुक्त |
| | | रौन के अप०क० 228/04 धारा 279,337 भादवि | न्यायालय द्वारा 500 रुपये का अर्थदण्ड किया गया है। |
| | | रौन के अप०क० 370/07 धारा 452, 336, 324,147,148,149 भादवि | प्रकरण में धारा 452, 336 भादवि को छोड़कर राजीनामा हो गया है एवं शेष धारा में राजीनामा होकर दोषमुक्त किया गया |
| | | रौन के अप०क० 10/10 धारा 353, 186, 135, 136 भादवि | प्रकरण में न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। |
| | | रौन के अप०क० 159/13 धारा 353,332, 294,506,34, भादवि, धारा 04 लो०स०अधि० | प्रकरण में एफआर क्र० 05/14 दिनांक 30.05.14 को तैयार किया गया। जो निराकरण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। |
| | | रौन के अप०क० 211/15 धारा 323,294, 506 भादवि | प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 2 | दीपू उर्फ दीपक शर्मा पुत्र रमेश शर्मा नि० विडखरी थाना रौन | रौन के अप०क० 13/10 धारा 302,120बी भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट | श्रीमान सत्र न्यायाधीश भिण्ड से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है माननीय होईकोर्ट से अपील पर विचाराधीन है। |
| | | रौन के अप०क० 178/10 धारा 341,294, 323,327,भादवि | जेएमएफसी न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.13 को दोषमुक्त किया गया है। |
| | | रौन के अप०क० 201/12 धारा 307,34,भादवि | माननीय न्यायालय भिण्ड के द्वारा दिनांक 09.01.14 को बरी किया गया। |
| | | रौन के अप०क० 185/14 धारा 307,341, 294,34,भादवि | प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। |
| | | रौन के अप०क० 183/15 धारा 294,336,34,भादवि | माननीय न्यायालय भिण्ड के द्वारा दिनांक 26.11.15 को बरी किया गया। |
| | | रौन के अप०क० 211/15 धारा 294,323, 506 बी भादवि | जेएमएफसी न्यायालय लहार में विचाराधीन है। |

Section Officer,
Govt. of M. P.
Home (Police) Deptt.
Mantralaya, Bhopal

03/12/2018
A.I.O.
C.I.O. P.I.O.